अपील सूचना अधिकार संख्या 132/2021(GCMS 2021/218) (आरटीआई नं. 212329110819223) श्री साधुराम पुत्र बुधराम निवासी गांव 8के(बी) पोस्ट जलतोड़ा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज.–335711 मोबाईल नं. 95011–16777) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साधुराम आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2021 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साधुराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> आपके अधीनस्थ पटवार और गिरदावरी के जमाबन्दी गांव 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पं.न. 173/257 मु.नं. 12 के संबंध में प्रार्थी को निम्न प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें :
>
> 1. उक्त मुरब्बा नं. सर्वप्रथम जिस जिस प्रार्थी को आवंटित हुए, उसकी सूचना प्रदान करते हुए आवंटन संबंधी सभी पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।
> 2. उक्त मुरब्बा नं. के आवंटन के उपरान्त आवंटियों द्वारा जो राज्य सरकार को शुल्क प्रदान किया गया, उसकी सूचना प्रदान करते हुए, उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. उक्त भूमि के बेचान संबंधी/आरजी काश्त सम्बन्धी सूचना प्रदान करें।
4. उक्त ऋणी 1952 से लेकर वर्तमान समय तक जिन जिन लोगो के नाम रही है, उसकी सूचना प्रदान करें।
5. उक्त भूमि के 1952 से लेकर 2021 तक की सम्पूर्ण पत्रावलियों की प्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/22/1806 दिनांक 03.02.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 212813953288138 दिनांक 11.10.2021 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 05 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिया इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
>
> -sd-
>
> उपखण्ड अधिकारी
>
> रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 01 से 05 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, **जिस पर अपीलार्थी स्वयं ने "सूचना प्राप्त की" अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये है।** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

[illegible] रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध सूचनाएं दी जा चुकी है तथा जिस पर अपीलार्थी ने स्वंय "सूचना प्राप्त की" अंकित किया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07[illegible] **मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर